

बिहार राज्य भवन निर्माण निगम, लि० पटना
(बिहार सरकार का उपक्रम)
राष्ट्रीय स्पर्धा ई-निविदा आमंत्रण सूचना सं०-47/2020-21

1. विज्ञापनदाता का पदनाम एवं पता :- मुख्य महाप्रबंधक, बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लि०, अस्पताल रोड, शास्त्रीनगर, पटना-800023
2. निविदा आमंत्रण की तिथि :- दिनांक: 22.09.2020
3. निविदा कागजात प्राप्त (डाउनलोड) करने की अंतिम तिथि एवं समय :-दिनांक: 10.10.2020 से 10.11.2020 के 15:00 बजे तक।
4. निविदा जमा (अपलोड) करने की अंतिम तिथि एवं समय :-दिनांक: 11.11.2020 के 15:00 बजे तक।
5. निविदा बिक्री का स्थान :-केवल वेबसाईट www.eproc2.bihar.gov.in पर
6. प्री-बीड मीटिंग की तिथि, समय एवं स्थान :-दिनांक: 29.10.2020 को 04:00 बजे अपराह्न मुख्य महाप्रबंधक, बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लि०, अस्पताल रोड, शास्त्रीनगर, पटना-23
7. निविदा खोलने की तिथि एवं समय (टेकनीकल बीड) :-दिनांक: 12.11.2020 को 15.00 बजे।
8. निविदा खोलने की तिथि एवं समय (वित्तीय बीड) :-तकनीकी मूल्यांकन के बाद।
9. निविदा वैधता की तिथि :- 120 दिन
10. कार्य का विवरण :-

क्र०	जिला का नाम	कार्य का नाम	प्राकृतिक राशि (अनुसूचित एवं गैर अनुसूचित) (₹) में	अग्रधन की राशि (₹) में	परिमाण विपत्र का मूल्य (अप्रत्यर्पणीय) (₹) में	Bid Processing Fee	कार्य समाप्ति की अवधि (माह में)	उप महाप्रबंधक का नाम
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	किशनगंज	बिहार राज्य अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय योजना के अंतर्गत किशनगंज जिला के कोचाधामन प्रखंड के डेरामारी में 560 (पाँच सौ साठ) आवासन क्षमता वाले अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय के भवन निर्माण का कार्य (05 वर्षों के रख-रखाव के साथ)।	₹49,85,00,000.00	₹59,85,000.00	₹10,000/-	As per web site	18 (अठारह)	पूर्णिमा
2	पूर्णिमा	बिहार राज्य अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय योजना के अंतर्गत पूर्णिमा जिला में 560 (पाँच सौ साठ) आवासन क्षमता वाले अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय के भवन निर्माण का कार्य (05 वर्षों के रख-रखाव के साथ)।	₹50,61,00,000.00	₹60,61,000.00	₹10,000/-	As per web site	18 (अठारह)	पूर्णिमा

3	मधुबनी	बिहार राज्य अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय योजना के अंतर्गत मधुबनी जिला के बिस्फी प्रखंड में 560 (पाँच सौ साठ) आवासन क्षमता वाले अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय के भवन निर्माण का कार्य (05 वर्षों के रख-रखाव के साथ)।	₹50,61,00,000.00	₹60,61,000.00	₹10,000/-	As per web site	18 (अठारह)	दरभंगा
---	--------	--	------------------	---------------	-----------	-----------------	---------------	--------


11. कोई भी संवेदक जो केन्द्रीय/राज्य सरकार/सार्वजनिक क्षेत्रों में निर्बंधित हों अथवा अन्तर्राष्ट्रीय/राष्ट्रीय स्तर के हों, निविदा में भाग ले सकते हैं परन्तु कार्य का लेटर आफ एक्सेप्टेंस प्राप्त होने के बाद भवन निर्माण विभाग में समुचित श्रेणी में निर्बंधन कराना अनिवार्य होगा।
12. निविदा केवल ई-निविदा पद्धति के अनुसार वेबसाइट (www.eproc2.bihar.gov.in) पर निष्पादित किया जाएगा। ई-निविदा प्रक्रिया से संबंधित जानकारी **Toll Free No.-18005726571** से प्राप्त किया जा सकता है।
13. ई-निविदा में भाग लेने के इच्छुक संवेदकों को ई-प्रोक्थोरमेंट के साथ निर्बंधन कराना होगा। वेबसाइट पर आवश्यक निर्बंधन प्रपत्र उपलब्ध है। इस निर्बंधन से उन्हें **user id** तथा **password** मिलेगा। संवेदकों को **DSC (Digital Signature Certificates)** भी प्राप्त करना होगा। **user id, password, DSC** एवं इन्टरनेट के उपयोग से ही संवेदक ई-निविदा में भाग ले सकेंगे।
14. निविदादाताओं को सिर्फ वेबसाइट पर ही, निविदा कागजात प्राप्त (डाउनलोड) एवं जमा (अपलोड) करना होगा। सुनिश्चित जगहों पर भरे गये विहित प्रपत्रों को एवं आवश्यक कागजातों को समर्पित करना होगा। निविदा खुलने की जानकारी तथा निविदा संबंधित किसी भी प्रकार के शुद्धि-पत्र की जानकारी निगम के वेबसाइट www.bsbccl.bih.nic.in/www.eproc2.bihar.gov.in से प्राप्त होगी।
15. संबंधित कार्य के निविदा कागजात का मूल्य, (न लौटाने योग्य), किसी राष्ट्रीयकृत बैंक द्वारा निर्गत बैंक ड्राफ्ट के रूप में, **संबंधित उप महाप्रबंधक, बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लि० (कॉलम-9 के अनुसार)** के पदनाम से भुगतये होना चाहिए। मूल बैंक ड्राफ्ट, संबंधित उप महाप्रबंधक, बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लि० (कॉलम-9 के अनुसार) अथवा महाप्रबंधक (उत्तर/दक्षिण), बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लि०, पटना अथवा मुख्य महाप्रबंधक, बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लि०, पटना के कार्यालय में निविदा खोलने की अंतिम तिथि एवं समय के पूर्व जमा करना अनिवार्य है। ऐसा नहीं करने पर निविदा मान्य नहीं होगी।
16. **Bid processing fee + Service Tax (कॉलम-7)** का भुगतान संवेदक **Internet Payment Gateway (Credit/ Debit Cards)** अथवा **Internet Banking** अथवा **NEFT/ RTGS Challan** के माध्यम से **BSEDC Ltd.** के **Bid Processing Fee Account** में **Credit** करेंगे। ऐसा नहीं करने पर निविदा मान्य नहीं होगी। यह फीस निविदा प्रपत्र डाउनलोड की अंतिम तिथि एवं समय से पूर्व जमा किया जाना अनिवार्य है।
17. अग्रधन की राशि **संबंधित उप महाप्रबंधक, (कॉलम-9 के अनुसार), बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लि० के नाम से (1) Bank Guarantee** अथवा **(2) Online (Internet Payment Gateway (IPG), (Challan)** होना चाहिए। अग्रधन की राशि, मूल रूप में, **संबंधित उप महाप्रबंधक, (कॉलम-9 के अनुसार), बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लि०, महाप्रबंधक (दक्षिण/उत्तर), बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लि०, पटना** अथवा मुख्य महाप्रबंधक, बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लि०, पटना के कार्यालय में, निविदा खोलने की तिथि एवं समय पूर्व जमा करना अनिवार्य है। ऐसा नहीं करने पर निविदा मान्य नहीं होगी।
18. वेबसाइट पर **Tender Free View** में निविदा प्रपत्र उपलब्ध है। निविदा प्रपत्र में दर्शाए गये स्वरूप में ही अग्रधन की राशि स्वीकार्य होगी।
19. कार्य की पूर्ण जानकारी के लिए संबंधित उप महाप्रबंधक, बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लि० (कॉलम-9)/महाप्रबंधक (उत्तर/दक्षिण), बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लि० पटना/मुख्य महाप्रबंधक बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लि०, पटना के कार्यालय से किसी कार्य दिवस के कार्य अवधि में सम्पर्क किया जा सकता है।
20. बिना कारण बताये निविदा को अस्वीकृत करने/रद्द करने का अधिकार सक्षम पदाधिकारी को सुरक्षित है।
21. परिमाण विपत्र की राशि घट बढ़ सकती है।
22. कार्यावटन के पश्चात् बिहार सरकार द्वारा जारी संकल्प एवं परिपत्रों में दिये गये निर्देशों का निर्माण कार्य में पालन करना अनिवार्य होगा।
23. भवन निर्माण विभाग का पत्राक-566 (भ), दिनांक: 17.01.2020 के आलोक में प्रतिशत दर निविदा (**In Percentage Rate tender**) पद्धति में निविदित दर की न्यूनतम अधिसीमा को समाप्त कर दिया गया है तदनुसार निविदादाता को उक्त पत्र के आलोक में एकरारनामा के समय उनके द्वारा निविदित दर के अनुसार **additional Performance guarantee** जमा करना अनिवार्य होगा।
24. निविदादाता निविदा अपलोड करते समय एक शपथ-पत्र अपलोड करेंगे जिसमें यह वर्णित होना चाहिए कि वह बिहार सरकार/भारत सरकार/सार्वजनिक उपक्रम/आदि से डिबार/कालीकृत नहीं हैं। निविदा निष्पादन के दौरान अगर संज्ञान में आता है कि निविदादाता बिहार सरकार/भारत सरकार/सार्वजनिक उपक्रम/आदि से डिबार/कालीकृत हैं, तो उनकी निविदा अमान्य की जाएगी और आगे कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
25. यह निविदा एस०बी०डी० में निहित प्रावधानों के अनुरूप है।
26. निविदा में एस०बी०डी० की कंडिका **2A** विलोपित समझा जाए।

ह०/-
मुख्य महाप्रबंधक,
बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लि०, पटना।

ज्ञापक:- 2014

दिनांक: 22-09-20

प्रतिलिपि:- निदेशक, सूचना एवं जन-सम्पर्क विभाग, बिहार, पटना को e-advertisement के माध्यम से दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशनार्थ समर्पित ।



मुख्य महाप्रबंधक,
बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लि०, पटना।

